

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

526

85

नवि/89 दिनांक 21.09.1999

जयपुर दिनांक - 13-09-2017

परिपत्र

नगरीय विकास विभाग के परिपत्र संख्या प. 6(19)नवि/89 दिनांक 21.09.1999 एवं प. 7(11)नवि/14 दिनांक 22.12.2014 के द्वारा निजी खातेदारों से समझौते से भूमि प्राप्त करने हेतु भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में खातेदारों/भू-स्वामियों को उनकी अवाप्ताधीन भूमि के एवज में कमशः 15 प्रतिशत एवं त 25 प्रतिशत विकसित भूमि देने का प्रावधान किया गया था। उपर्युक्त परिपत्र में यह भी प्रावधान है कि उपरोक्तानुसार विकसित भूमि खातेदारों को दी जावेगी जिन खातेदारों द्वारा समय पर विकल्प दिया गया है।

भूमि अवाप्ति के कई प्रकरणों में अभी भी खातेदारों को मुआवजा का भूगतान नहीं होने के कारण सरथाओं की अवाप्त भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं हो पा रहा है तथा इस कारण योजनाओं की क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। अतः राज्य सरकार द्वारा वर्षों से लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिन खातेदारों द्वारा मुआवजे की राशि नहीं ली गई है अथवा मुआवजे की राशि न्यायालय में जमा है ऐसे खातेदारों को अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि देने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की समयावधि दिनांक 30.09.2017 तक रहेगी, जो निम्नांकित शर्तों के अधीन होगा:-

1. दिनांक 27.10.2005 से पूर्व के जारी अवाई में भूमि के बदले विकसित भूमि 15 प्रतिशत दिये जाने का प्रावधान था। अतः दिनांक 27.10.2005 के पूर्व प्रकरणों में अन्य के समान अवाप्त भूमि के बदले 15 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने का विकल्प प्रस्तुत करने हेतु समयावधि 30.09.2017 रहेगी।
2. दिनांक 27.10.2005 के पश्चात जारी अवाई में भूमि के बदले विकसित भूमि 25 प्रतिशत दिये जाने का प्रावधान था। अतः दिनांक 27.10.2005 के पश्चात के प्रकरणों में अन्य खातेदारों के समान अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि दिये जाने वाला विकल्प प्रस्तुत करने हेतु समयावधि 30.09.2017 रहेगी।
3. जिन योजनाओं की क्रियान्वयन नहीं हुई क्योंकि खातेदारों से कब्जा नहीं लिया गया है एवं जिन खातेदारों ने राशि नहीं उठाई है उन्हें को केवल विकल्प का मौका दिया जावेगा।
4. सभी विकल्प के तहत विकसित भूमि देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि अवाप्ताधीन भूमि की विधिवत रूप से प्राधिकरण/हाउसिंग बोर्ड/न्यास द्वारा कब्जा लिया गया है। यदि न्यायालय में प्रकरण विधाराधीन हो तो संबंधित कार्रवाही द्वारा उसे प्रत्याहारित (withdraw) करने के बाद ही विकसित भूमि दी जावे।

उपरोक्तानुसार प्राप्त अभ्यावेदन पत्र का निस्तारण कर राज्य सरकार को अवगत करवायेगा तथा अस्वीकृति के प्रकरणों में ठोस कारण सहित राज्य सरकार को 15 दिवस में अवगत करवायेगा।

(राजेश सिंह शोषाप्रत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

13/9/17